Form No. III

फर्द अहकाम

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 61/09 अनवान भीकसिंह बनाम जयंतिलाल वगैरा
अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी. सपठित धारा 12 न्यायालय की अवमानना अधिनियम

ता. रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10-4-2008	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री नारायणसिंह जोशी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वकील प्रार्थीगण श्री नारायणसिंह जोशी द्वारा अपने उक्त कन्टेप्ट प्रार्थना पत्र के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि ग्राम बेडा चक प्रथम स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 790, 791 कुल रकबा सवा सडसठ बीघा से बने हाल खसरा नंबर 3 व 4 कुल रकबा 10.84 हैक्टर के संबध में प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली से दिनांक 25.03.2006 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। दिनांक 20.06.2008 को न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने से इसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में की गई। जिस अपील में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया, जो आज तक बरकरार है। प्रकरण में वर्णित भूमि के संबध में प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 25.03.2006 से 20.06.2008 तक स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुये अप्रार्थी संख्या 01 से 05 नें अप्रार्थी संख्या–08 के साथ आपराधिक षडयंत्र कर कृषि भूमि बेडा के खसरा नंबर 4 रकबा 9.56 हैक्टर का विक्रय विलेख दिनांक 28.05.2008 को अप्रार्थी संख्या–06 के हक में पंजिबद्ध करा दिया। जबकि अप्रार्थीगण को न्यायालय में लम्बित वाद पत्र एवं स्थगन आदेश की पूर्व से जानकारी थी। जिस कृत्य के लिये अप्रार्थीगण आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी के प्रावधानो अनुसार दोषी है, जिन्हे दण्डित किया जावे। अपनी दलीलो के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 25.03.2006 से 20.4.2006 एवं आदेशिका दिनांक 24.03.2008 से 20.06.2008 की फोटो प्रतिया एवं विक्रय विलेख दिनांक 28.05.2008 की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकील प्रार्थीगण की दलीलो पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वादग्रस्त भूमि बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 3 व 04 रकबा 10.04 हैक्टर के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 16/2006 अनवान भीकसिंह बनाम शेषमल के कायम मुकाम सुशीलाबाई वगैरा में दिनांक 25.03.2006 को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण रेकार्ड की यथा स्थिति कायम रखेगें। जिस अंतरिम आदेश में सशर्त आदेश पारित कर प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी पर अपने कब्जे संबधी आवश्यक रेकर्ड प्रस्तुती के भी निर्देश दिये गये। इस प्रकार प्रकरण में **रेकार्ड की यथा स्थिति रखने बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निशेधाज्ञा का आदेश** न्यायालय द्वारा पारित किया गया। तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण के जबाव के पश्चात् दिनांक 21.05.2008 को वकुलाय की बहस समायत कर प्रकरण को दिनांक 26.05.2008 को आदेश के लिये रखा गया। इसके पश्चात् दिनांक 20.06.2008 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 द्वारा दिनांक 28.05.2008 को वादग्रस्त भूमि बेडा के खसरा नंबर 4 रकबा 9.56 हैक्टर का बेचान अप्रार्थी संख्या–06 के पक्ष में कर दिया गया। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त बेचान का नामान्तरकरण होने के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मौखिक रूप से यह स्वीकार किया कि बेचान का नामान्तरकरण नहीं हुआ हैं। इस प्रकार न्यायालय का अंतरिम स्थगन आदेश रेकार्ड की यथा स्थिति रखने बाबत् जारी था, तथा इस बेचान के आधार पर यदि अधिकार अभिलेखों में खरीदकर्तागण खातेदार दर्ज नहीं हुये है, तो रेकार्ड की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होना प्रमाणित नहीं हैं। अर्थात् वादग्रस्त	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	भूमि बेडा चक प्रथम के हाल खसरा नंबर 4 रकबा 9.56 हैक्टर के रिकार्ड की यथा स्थिति कायम हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण को साबित करने का दायित्व प्रार्थी पक्ष का था। प्रार्थी अपने उक्त प्रकरण में रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होने के तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाये हैं, जिससे प्रकरण में न्यायालय आदेश का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् कन्टेप्ट खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी, बाली उप - खण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला (राज.)	

Scanned by CamScanner